न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।
उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)
****

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–574/2026

UPST010017942026

जितेन्द्र कुमार उर्फ शुभम पुत्र श्याम नरायन, निवासी ग्राम मसीरपुर, थाना जयसिंहपर, जनपद सुलतानपुर।
........................प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य ....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0–307/2020
अन्तर्गत धारा– 323, 504, 506, 325 भारतीय दण्ड संहिता एवं
3(1)(द), 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर।

दिनांक 12.03.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उर्फ शुभम के द्वारा मुकदमा अपराध सं0 307/2020, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 325 भारतीय दण्ड संहिता, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर में जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है। प्रार्थना पत्र, शपथपथ से समर्थित है।

2. अभियोजन का संक्षेप कथानक यह है कि दिनांक 10.07.2020 को समय लगभग शाम 6 बजे ग्राम के ही शुभम यादव ने वादी मुकदमा रिकू हरिजन के घर के सामने सड़क पर वादी तथा उसकी रिश्तेदार केशमती को मां–बहन की गालियां देते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया तथा लोहे की रॉड से मारपीट की, जिससे दोनों को चोटें आईं। उक्त विपक्षी ने वादी को जान से मारने की धमकी भी दी और कहा कि यदि कहीं शिकायत की तो जान से मार देगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है तथा मात्र राजनीतिक रंजिशवश उसे षड्यंत्रपूर्वक इस मुकदमे में फँसाया गया है। वादी द्वारा एफ0आइ0आर0 में घटना दिनांक 10.07.2020 बताई गई है, जबकि धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान एवं गवाहों द्वारा घटना दिनांक 11.07.2020 बताई गई है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी का उक्त घटना से कोई संबंध नहीं है और उसे घटना की जानकारी तब हुई जब पुलिस उसके घर पहुँची। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चोटें साधारण प्रकृति की हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है और घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। इन्हीं कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया एवं जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष (फौजदारी) लोक अभियोजक के तर्कों को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा व उसके परिवारीजन को मार–पीट कर चोटें पहुंचाने व जान माल की धमकी देने का अभियोग है। कथित घटना में कुल 2 लोंगों

को चोटें आना कहा गया है। पत्रावली में चोटहिल केशमती की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल है। चोटहिल केशमती की एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार उसकी दाहिनी हाथ में फ्रैक्चर पाया गया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई भी पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर है, उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है।उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में वाद के गुण-दोष पर अन्य कोई टिप्पणी किये बगैर प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त का जमानत पर छोड़ा जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। तद्नुसार उक्त जमानत प्रार्थनापत्र शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उर्फ शुभम द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 30,000/-रूपये की एक प्रतिभू तथा समान धनराशि के निजी बंधपत्र न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये-

1. प्रार्थी/अभियुक्त अध्याय 33 दण्ड प्रक्रिया संहिता/35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त उस मामलें के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

Sd/-
(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

दिनांक 12.03.2026

(स्टेनो सुधीर सिंह)